प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.08.2025

स्वाट टीम, क्राइम ब्रॉन्च कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा केमिकल के माध्यम से रूपयों को तीन गुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, ठगी करने वाले गैंग के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त एक XUV-500 महेन्द्रा कार व 3,50,000/- रुपये नगद एवं कांच प्लेट आदि सामान बरामद

दिनाँक-08/08/25 को वादी मुकदमा द्वारा थाना साहिबाबाद पर अभियुक्तगणों द्वारा केमिकल के माध्यम से रूपयो को तीन गुना करने का झांसा देकर आठ लाख रूपयो की ठगी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 520/2025 धारा 318(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही व उक्त घटना का अनावरण करते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा स्वाट टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद आज दिनांक 11.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तगणों को घटना में प्रयुक्त एक XUV-500 महेन्द्रा कार नं0 HR 02 BB4053 के व 3 लाख 50 हजार रूपये नगदी माल मुकदमाती व घटना से सम्बन्धित व चार अदद् कांच प्लेट व गन्धक पोटाश व तस्ला व सफेद नकली नोट की सफेद 05 अदद् गड्डी के गिरफ्तार किया गया है। थाना साहिबाबाद पर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरणः- चारों अभियुक्तगणों से घटना से सम्बन्धित पूछताछ की गयी तो बताया दिनांक 25.06.2025 को वादी मुकदमा को अभियुक्त अनीस जो इसका पुराना दोस्त है। इसके द्वारा केमिकल के माध्यम से रूपयों को तीन गुना करने की स्कीम बताते हुए आठ लाख रूपये अपने अन्य साथी साजिद, हैप्पी व शौकीन व तीन अज्ञात के साथ मिलकर राजनगर की एक सोसायटी में हैप्पी द्वारा किराये के लिये गये फ्लैट पर घटना को अन्जाम दिया गया था।

उक्त अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि बरामद तस्ले में पानी के साथ गन्धक, पोटाश का पाउडर मिलाकर नकली सफेद गड्डियों को कांच की प्लेटों के बीच में फंसाकर तस्ले में भरे गन्धक पोटाश के पानी के अन्दर घुमाते है और हाथों की सफाई से दूसरी कांच प्लेट में असली नोट लगाकर नोट बनाना दिखाकर लोगों से रूपयों की तीन गुना बनाने की इसी तरह से ठगी करते है व अचानक गन्धक पोटाश से फ्लेट के अन्दर धुआं कर लोगों को डरा देते है और रूपयों को अपने पास रखकर बाद में नोट बनाने की कहकर फरार हो जाते है। गैंग का मुख्य सरगना हैप्पी सिंह है, जो मूलतः बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में हरियाणा के फरीदाबाद में निवास कर रहा है तथा गैंग के तीन अन्य बदमाश जो चंडीगढ व करनाल के रहने वाले है, फरार है, जिनकी तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.हैप्पी सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी गोपालगंज बिहार हाल पता म0न0- ई-554 शिव दुर्गा विहार फरीदाबाद हरियणा उम्र करीब 23 वर्ष

2.अनीस पुत्र अब्दुल हकीम निवासी म0न0-ए-81 शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

3.साजिद पुत्र अली हसन निवासी म0न0 ई-197 जयपाल चौक शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब-40 वर्ष

4.शौकीन पुत्र अली हसन निवासी म0न0 ई-197 जयपाल चौक शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब-35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.नगदी माल मुकदमाती-3,50,000 रूपये

2.04 अदद् कांच प्लेट घटना से सम्बन्धित

3-लोहा तस्ला- 01 अदद घटना से सम्बन्धित

4. गंधक पोटाश दो थैली घटना से सम्बन्धित

5.सफेद कागज की नकली 05 अदद् गड्डियां

6.घटना करने मे प्रयुक्त गाडी XUV-500 महेन्द्रा कार नं0 HR 02 BB4053 सफेद रंग

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त हैप्पी उर्फ विक्की सिंह के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

2.अभियुक्त अनीस के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त साजिद के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

4.अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध गाजियाबाद मे 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 09.08.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भड़काऊ टिप्पणी की है, जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा-299 बीएनएस व 66 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई ।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व मैनुअल इनपुट के माध्यम से उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहित कौशिक पुत्र कृष्णपाल निवासी रेवडी रेवाडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अभियुक्त मोहित कौशिक पुत्र कृष्णपाल निवासी रेवडी रेवाडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 10.08.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सोनू त्यागी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष समुदाय के यू-टयूबर व मीडिया कर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी व अभद्र भाषा का प्रयोग कर अन्जाम भुगतने की धमकी दी जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा-299/351(3) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना व मैनुअल इनपुट के माध्यम से उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त सोनू त्यागी उर्फ नीरज त्यागी पुत्र विशेष कुमार निवासी ग्राम काकडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अभियुक्त सोनू त्यागी उर्फ नीरज त्यागी पुत्र विशेष कुमार निवासी ग्राम काकडा थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में प्रस्तावित परेड के अवसर पर कमिश्नरेट गाजियाबाद में डायवर्जन व्यवस्था

कृपया सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि विगत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला दिल्ली में दिनांक 13.08.2025 को रिहर्सल कार्यक्रम एवं दिनांक 15.08.2025 को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिसको सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु रिहर्सल कार्यक्रम के दौरान दिनांक 12.08.2025 की रात्रि समय 20:00 बजे से दिनांक 13.08.2025 को कार्यक्रम की समाप्ति तक एवं मुख्य कार्यक्रम के दौरान दिनांक 14.08.2025 की रात्रि समय 20:00 बजे से दिनांक 15.08.2025 को कार्यक्रम की समाप्ति तक हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का गाजियाबाद में निम्न प्रकार से यातायात डायवर्जन किया जायेगा:-

- एन0एच0- 09 से यूपी गेट होते हुए सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- डाबर तिराहा से महाराजपुर होते हुए सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- मोहननगर से सीमापुरी होते हुए सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

- भोपुरा बॉर्डर से सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- लोनी बॉर्डर से सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- जनपद मेरठ स्थित काशी टोल प्लाजा से गाजियाबाद की ओर एवं भोजपुर एंट्री/IMS कॉलेज/IPEM कॉलेज एंट्री पॉइंट से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- पुस्ता खजूरी मार्ग से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- सूर्यनगर बॉर्डर से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के/मध्यम/भारी व्यवसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिये कृपया वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

नोटः- उपरोक्त मार्गों से केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित वाहन ही आवागमन कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण मोबाइल नम्बरः-

यातायात कण्ट्रोल रूम: 9643322904	यातायात निरीक्षक प्रथम श्री अजय कुमार: 9219005151
यातायात निरीक्षक तृतीय श्री संतोष कुमार सिंह: 7398000808	यातायात निरीक्षक चतुर्थ श्री मनोज कुमार सिंह: 8130674912
यातायात निरीक्षक पंचम श्री संतोष चौहान: 7007847097	यातायात निरीक्षक षष्टम श्री विनय कुमार राय: 8787066787